न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड
उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)
UPHP010072482025

Sessions Case/2732/2025
State of U.P. Vs. Omdutt
सत्र परीक्षण संख्या 2732/2024

मु0अ0सं0 404/2023
सरकार बनाम ओमदत्त
अन्तर्गत धारा : 363,370(4)/120–बी भा0दं0सं0
थाना : गढमुक्तेश्वर,जिला : हापुड़

15.12.2025 **आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)**

पुकार कराई गई। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त ओमदत्त जेरे जमानत उपस्थित। विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया जिसके द्वारा उन्हे अभियोजन कथानक सिद्ध करना है ।

पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त ओमदत्त के विरूद्ध धारा 363,370(4)/120–बी भा0दं0सं0 के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है । अतः अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओ के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दि0 06.01.2026 को पेश हो । अभियोजन साक्षीगण तलब हो ।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड।

दि0 15.12.2025

Digitally signed by GYANENDER SINGH YADAV
Date: 2025.12.17 15:48:16 IST
Reason: order
Location: District and Sessions Court

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड

उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

UPHP010072482025

Sessions Case/2732/2025

State of U.P. Vs. Omdutt

सत्र परीक्षण संख्या 2732/2024

मु0अ0सं0 404/2023
सरकार बनाम ओमदत्त
अन्तर्गत धारा : 363,370(4)/120–बी भा0दं0सं0
थाना : गढमुक्तेश्वर,जिला : हापुड़

आरोप

मैं, ज्ञानेन्द्र सिंह यादव,अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड, एतदद्वारा आप अभियुक्त ओमदत्त पर यह आरोप लगाता हूँ कि –:

प्रथमत ::– यह कि यह कि 14.08.2022 की रात्रि 12 से 2 बजे के बीच किसी समय झुग्गी झोपडीब्रजघाट एन0एच0 09 पार्किंग न02 के पास गढमुक्तेश्वर बहद थाना गढमुक्तेश्वर जिला हापुड में आप अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी श्रीमती राखी के अव्यस्क पुत्र राजकुमार आयु लगभग 18 माह , को सोते समय उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से ले गये और इसप्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा 363 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

द्वितीयत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर आप अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी श्रीमती राखी के अव्यस्क पुत्र राजकुमार आयु लगभग 18 माह, का दुर्व्यापार करने के आशय से उसका व्यपहरण करने का आपराधिक षडयन्त्र किया । इसप्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा 370(4) / 120–बी के अधीन दण्डनीय अपराध है, जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है। अतएव एतदद्वारा मैं , आपको आदेशित करता हूँ कि उक्त आरोपों के लिये आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

अतएव एतदद्वारा मैं , आपको आदेशित करता हूँ कि उक्त आरोपों के लिये आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड।

दि0 15.12.2025

आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाया एवं समझाया गया । अभियुक्त ने आरोप को अस्वीकार किया और विचारण की मॉग की।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड।

दि0 15.12.2025